प्रश्न किया जिसमें
किया गया साफ हलका पटवारी
के व भू.रि. खबड़ा को कुर्की
व निलामी कार्यवाही हेतु निर्देशित
किया गया था और उनके द्वारा
किया गया था कि गांव के आदमी
द्वारा पट्टे की जमीन पर टाका निर्माण
में की मौजूद भी है टाका निर्माण
व बाजरी मोठ फसल इक बा
रबिया में फसल बोई गयी है चूंकि
मौके पर वर्षा के अभाव के कारण
बाजरी मोठ की फसल नष्ट हो
गयी है जिससे फसल कुर्की की
कार्यवाही नहीं हो सकी साफ
ही मौके पर टाका निर्माण है निलामी
एक सरकार कुर्क किया गया है
अतः आदेशित किया जाता है
कि अपीलार्थी को उक्त भूमि से
अतिक्रमण बेदखल किया जाकर
भौतिक रूप से बेदखल करने का
साथ ही मकान टाका मौके से तोड़
कर प्राप्त पत्थर निलामी कार्यवाही
कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा
कराने का निर्णय पारित किया जाता है
अपीलार्थी को पाबन्द किया जावे कि
उक्त भूमि पर आगे किसी प्रकार
का कब्जा नहीं करें तथा उक्त भूमि
का वार्षिक लगान के पचास गुणा
राशि 20/- बीस रुपया मात्र
सवाव जुर्माना आरोपित किया जाता
है जो वसूल हो।
तहसील राजस्व लेखाकार को
वास्ते मात्र कार्यवाही व हलका पटवारी
भूमि. रि. को वसूली एवं बेदखली हेतु
लिखा जावे निर्णय दि. 01/10/18 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया पिछली रजिस्टर में हस्ताक्षर हो।

तहसीलदार, आमेर
जयपुर